सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अध्यादेश)

देहरादून, शनिवार, 03 मार्च, 2001 ई0

फाल्गुन 12, 1922 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 1/विधायी एवं संसदीय कार्य/2001

देहरादून, 03 मार्च, 2001

अधिसूचना

विविध

का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2001, दिनांक 03 मार्च, 2001 को और यह उत्तरांचल अध्यादेश संख्या 1 पर 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस काशित किया जाता है।

दिश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2001

(उत्तरांचल अध्यादेश संख्या 1 सन् 2001)

रत गणराज्य के बावनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

ल में उसकी प्रकृति, उत्तर प्रदेश वन निगम के कार्यकलाप सीमित करने वन-विकास निगम की स्थापना के संबंध में उत्तर प्रदेश वन निगम, 1974 ने के लिए

अध्यादेश

विधान सभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया स्थितियां विद्यमान है जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक

अतएव अब, संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

संक्षिप्त नाम — 1–यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2001 कहा जायेगा।

उ०प्र० अधिनियम संख्या 4 सन् 1975 की धारा 2 का संशोधन — 2–उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1975) जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में निम्नलिखित बढ़ाया जायेगा अर्थात् -

(क) मूल अधिनियम की धारा 2 खण्ड (क) में "उत्तर प्रदेश वन निगम" के पश्चात् एवं "से है" से पूर्व "एवं धारा 3 (क) के अधीन स्थापित उत्तरांचल वन विकास निगम" जोड़ दिया जायेगा;

(ख) मूल अधिनियम की धारा 2 खण्ड (च) में "उत्तर प्रदेश सरकार" के पश्चात् एवं "से है" से पूर्व "या उत्तरांचल सरकार, जैसी भी स्थिति हो" जोड़ दिया जायेगा।

नई धारा 3-क का बढ़ाया जाना — 3–मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् एक नई धारा 3–क निम्नवत् बढ़ा दी जायेगी–

"3 क (1) उत्तरांचल की राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे दिनांक से, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जायेगा, उत्तरांचल वन विकास निगम के नाम से एक निगम गठित करेगी।

(2) निगम शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा तथा वह अपने निगमित नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगा तथा उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और उसको इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा उसका निस्तारण करने की शक्ति होगी।

(3) निगम समस्त प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकारी होगा।

(4) निगम का मुख्यालय नरेन्द्रनगर में होगा तथा उसके कार्यालय ऐसे अन्य स्थानों पर भी हो सकते हैं जहां वह आवश्यक समझे।

(5) उत्तरांचल वन विकास निगम का कार्यक्षेत्र उत्तरांचल का सम्पूर्ण क्षेत्र होगा और अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से, उत्तरांचल वन विकास निगम के कार्यक्षेत्र में उत्तर प्रदेश वन निगम न ही कार्य करता रहेगा और न ही क्रियाशील बना रहेगा।"

(सुरजीत सिंह बरनाला)
राज्यपाल, उत्तरांचल।

आज्ञा से,
इरशाद हुसैन
सचिव।

No. 1 (1)/Vidhayee and Sansadiya Karya/2001
Dated Dehradun, March 03, 2001

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the [illegible] Governor is pleased to order [illegible] following English translation [illegible] Uttar Pradesh Van Nigam Adhiniyam (Uttaranchal Sanshodhan) Adhyadesh, 2001 [illegible]

THE UTTAR PRADESH FOREST CORPORATION (UTTARANCHAL AMENDMENT) ORDINANCE, 2001

(UTTARANCHAL ORDINANCE NO. 1 OF 2001)

[Promulgated by the Governor in the Fifty-second Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

To amend the Uttar Pradesh Forest Corporation Act, 1974, in its application to Uttaranchal, to limit the area of operation of the Uttar Pradesh Forest Corporation and to establish the Uttaranchal Forest Development Corporation;

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action,

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title

1. This Ordinance may be called The Uttar Pradesh Forest Corporation (Uttaranchal Amendment) Ordinance, 2001.

Amendment of section 2 of UP Act no. 4 of 1975

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Forest Corporation Act, 1974 (hereinafter called the Principal Act) following additions shall be made :—

(1) In clause (a) of section 2 of the Act, the words "and the Uttaranchal Forest Development Corporation established under Section 3-A" shall be added after the words "under section 3";

(2) In clause (f) of section 2 of the Act, the words "or the Government of Uttaranchal, as the case may be" shall be added after the words "Government of Uttar Pradesh".

Addition of new section 3-A

3. After section 3 of the Principal Act, the following new section 3-A shall be added, namely –

"3-A (1) The State Government of Uttaranchal shall, by notification in the gazette and with effect from the date to be specified therein, constitute a corporation by the name of Uttaranchal Forest Development Corporation;

(2) The Corporation shall be a body corporate having a perpetual succession and a common seal and may sue and be sued in its corporate name and shall have the power to acquire, hold and dispose off property for the purpose of this Act.

(3) The Corporation shall for all purposes be a local authority.

(4) The Uttaranchal Forest Development Corporation shall have its head office at Narendranagar and may have offices at such places as it may consider necessary.

(5) The area of operation of the Uttaranchal Forest Development Corporation shall be the entire territory of the State of Uttaranchal, in respect of with the Uttar Pradesh Forest Corporation will cease to function and operate with effect from the date the Uttaranchal Forest Development Corporation is notified in the gazette."

(SURJIT SINGH BARNALA)
Governor, Uttaranchal.

By order,
Irshad Hussain
Sachiv

[illegible]

देहरादून: दिनांक: 1 अप्रैल, 2001

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 (अधिनियम संख्या-4 सन् 1975) सपठित उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2001 (उत्तरांचल अध्यादेश संख्या-1, सन् 2001), की धारा 3-क (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, उत्तरांचल वन विकास निगम के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से गठित माना जायेगा तथा उक्त अधिनियम / अध्यादेश द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदिष्ट कृत्यों का निर्वहन करेगा.

आज्ञा से,

(शत्रुघ्न सिंह)

सचिव

संख्या 1738 (1)/1-व.ग्रा.वि./2001-8(25)/2001, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद सहित उप निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तरांचल रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 1 अप्रैल,2001 के असाधारण राजकीय गजट में अवश्य प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें और प्रकाशन के उपरान्त अधिसूचना की 200 मुद्रित प्रतियां सचिवालय के वन एवं पर्यावरण अनुभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें.

आज्ञा से,

(शत्रुघ्न सिंह)

सचिव

सरकारी गजट उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 17 मई, 2001 ई0
वैशाख 27, 1923 शक सम्वत

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 07 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2001
देहरादून, 17 मई, 2001

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 17 मई, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 07 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001

उत्तरांचल में उसकी प्रवृत्ति, उत्तर प्रदेश वन निगम के कार्यक्षेत्र को सीमित करने तथा उत्तरांचल वन विकास निगम की स्थापना के संबंध में उत्तर प्रदेश वन निगम, 1974 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत के गणराज्य के बावनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित करती है

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) संक्षिप्त नाम अधिनियम, 2001 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1976 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1976) जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में निम्नलिखित बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—

(क) मूल अधिनियम की धारा 2 खण्ड (क) में "उत्तर प्रदेश वन निगम" के पश्चात् एवं "से है" से पूर्व "एवं धारा 3 (क) के अधीन स्थापित उत्तरांचल वन विकास निगम" जोड़ दिया जायेगा;

(ख) मूल अधिनियम की धारा 2 खण्ड (ध) में "उत्तर प्रदेश सरकार" के पश्चात् एवं "से है" से पूर्व "या उत्तरांचल सरकार, जैसी भी स्थिति हो" जोड़ दिया जायेगा।

नई धारा 3-क का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् एक नई धारा 3—क निम्नवत् बढ़ा दी जायेगी:—

"3—क (1) उत्तरांचल राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे दिनांक से जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जायेगा, उत्तरांचल वन विकास निगम के नाम से एक निगम गठित करेगी।

(2) निगम शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा तथा वह अपने निगमित नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगा तथा उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और उसको इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा उसका निस्तारण करने की शक्ति होगी।

(3) निगम समस्त प्रयोजनों के लिये स्थानीय प्राधिकारी होगा।

(4) निगम का मुख्यालय नरेन्द्रनगर में होगा तथा उसके कार्यालय ऐसे अन्य स्थानों पर भी हो सकते हैं जहां वह आवश्यक समझे।

(5) उत्तरांचल वन विकास निगम का कार्यक्षेत्र उत्तरांचल का सम्पूर्ण क्षेत्र होगा और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तिथि से, उत्तरांचल वन विकास निगम के कार्यक्षेत्र में, उत्तर प्रदेश वन निगम न ही कार्य करता रहेगा और न ही क्रियाशील बना रहेगा।

4—उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2001 (अध्यादेश संख्या 01/2001) निरसित किया जाता है।

आज्ञा से,
(पी० सी० पन्त)
सचिव।

No. 07/Vidhayee Evam Sansadiya Karya/2001
Dated Dehradun, May 17, 2001

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Forest Corporation (Uttaranchal Amendment) Bill, 2001 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 07 of 2001) As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on May 17, 2001

THE UTTAR PRADESH FOREST CORPORATION (UTTARANCHAL AMENDMENT) ACT, 2001

To amend the Uttar Pradesh Forest Corporation Act, 1974, in its application to Uttaranchal, to limit the area of operation of the Uttar Pradesh Forest Corporation and to establish the Uttaranchal Forest Development Corporation.

An
ACT

Uttaranchal Vidhan Sabha in the Fifty Second Year of Republic of India, enacts as follows:

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Forest Corporation (Uttaranchal Amendment) Act, 2001

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Forest Corporation Act, 1974 (hereinafter called the Principal Act) following additions shall be made,-- *Amendment of section 2 of U P Act No 4 of 1975*

(a) In clause (a) of section 2 of the Act, the words "and the Uttaranchal Forest Development Corporation established under section 3 A" shall be added after the words "under section 3".

(b) In clause (f) of section 2 of the Act, the words "or the Government of Uttaranchal, as the case may be" shall be added after the words "Government of Uttar Pradesh".

3. After section 3 of the Principal Act, the following new section 3 A shall be added, namely.-- *Addition of new section 3 A*

"3 A (1) The State Government of Uttaranchal shall, by notification in the gazette and with effect from the date to be specified therein, constitute a corporation by the name of Uttaranchal Forest Development Corporation.

(2) The Corporation shall be a body corporate having a perpetual succession and a common seal and may sue and be sued in its corporate name and shall have the power to acquire, hold and dispose off property for the purpose of this Act.

(3) The Corporation shall for all purposes be a local authority.

(4) The Uttaranchal Forest Development Corporation shall have its head office at Narendranagar and may have offices at such places as it may consider necessary

(5) The area of operation of the Uttaranchal Forest Development Corporation shall be the entire territory of the state of Uttaranchal, in respect of which the Uttar Pradesh Forest Corporation will cease to function and operate with effect from the date the Uttaranchal Forest Development Corporation is notified in the gazette."

4. The Uttar Pradesh Forest Corporation (Uttaranchal Amendment) Ordinance, 2001 (Ordinance No. 1 of 2001) is hereby repealed.

By Order,

(P. C. PANT)
Sachiv

पी०एस०यू० (आर०ई०) 24 विधायी/186-2001-500 (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

उत्तरांचल शासन
वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
वन एवं पर्यावरण अनुभाग
संख्या 1738/I-व.ग्रा.वि./2001-8(25) 2001
देहरादूनः दिनांकः 1 अप्रैल, 2001

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 (अधिनियम संख्या-4 सन् 1975) सपठित उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2001 (उत्तरांचल अध्यादेश संख्या-1, सन् 2001), की धारा 3-क (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, उत्तरांचल वन विकास निगम के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, जो इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से गठित माना जायेगा तथा उक्त अधिनियम / अध्यादेश द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदिष्ठ कृत्यों का निर्वहन करेगा.

आज्ञा से,
(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव

संख्या 1738 (1)/I-व.ग्रा.वि./2001-8(25)/2001, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद सहित उप निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तरांचल रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 1 अप्रैल,2001 के असाधारण राजकीय गजट में अवश्य प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें और प्रकाशन के उपरान्त अधिसूचना की 200 मुद्रित प्रतियां सचिवालय के वन एवं पर्यावरण अनुभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें,

आज्ञा से,
(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव

..2..